

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक प.22(1)न्याय/22

जयपुर, दिनांक 27-09-2023

**::आज्ञा::**

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में रिक्त पदों का अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित विभाग
1.	किरण यादव	कनिष्ठ विधि अधिकारी नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)

साथ ही इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 21.09.2023 द्वारा श्रीमती निमिता शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को दिये गये अतिरिक्त कार्य के आदेश को निरस्त किया जाता है। शेष यथावत रहेंगे।

आज्ञा से

  
(आशुतोष कुमार)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. उपरोक्त संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि वे अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव